"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 114] रायपुर, बुधवार, दिनांक 5 मार्च 2014— फाल्गुन 14, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

अधिसूचना

क्रमांक एफ 10-41/2014/वाक/पांच (37). —- चूंकि राज्य शासन को यह समाधान हो गया है कि लोक हित में ऐसा करना आवश्यक है ;

अतएव केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्रमांक 74 सन् 1956) की धारा 8 की उप-धारा (5) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा, व्यवसायी द्वारा उपधारा (4) की अपेक्षाओं की पूर्ति करने पर, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट माल के वर्ग को कॉलम (3) में विनिर्दिष्ट सीमा तक, कॉलम (4) में विनिर्दिष्ट निर्बंधन एवं शर्तों के अध्यधीन, उक्त अधिनियम के अधीन दिनांक 01-04-2014 से 31-03-2015 तक की कालावधि के लिए कर के भुगतान से छूट प्रदान करती है :-

अनुसूची

अ. क्र. (1)	वस्तुओं की श्रेणी (2)	छूट की सीमा (3)	निर्बंधन एवं शर्तें (4)
1.	केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 (क्र. 74 सन् 1956) की धारा 14 में वर्णित लोहा तथा इस्पात.	अंशत: इस प्रकार जिससे कर की दर घटकर 1 प्रतिशत हो जाए.	जब ऐसे माल का उत्पादन एवं विक्रय छत्तीसगढ़ में स्थित लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई, जो छत्तीसगढ़ मूल्य संवर्धित कर अधिनियम, 2005 के अधीन पंजीकृत है, के द्वारा किया जाय. **स्पष्टीकरण** :-(1) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए लघु अथवा मध्यम औद्योगिक इकाई से आशय ऐसी विद्यमान इकाई का दिनांक 31-03-2014 तक, तथा 01-04-2014 या इसके पश्चात् उत्पादन में आने वाली इकाई का उत्पादन दिनांक तक, संयंत्र एवं मशीनरी में

(1)	(2)	(3)	(4)
			कुल विनियोजन, अवक्षयण (depreciation) के पूर्व रु. 10 करोड़ से अधिक न हो. (2) इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए संयंत्र एवं मशीनरी में विनियोजन की गणना भारत शासन के लघु उद्योग मंत्रालय की अधिसूचना क्रमांक का. आ. 1722 (अ) दिनांक 5 अक्टूबर, 2006 के अनुसार की जायेगी.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

रायपुर, दिनांक 4 मार्च 2014

क्रमांक एफ 10-41/2014/वाक/पांच(37). — भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ 10-41/2014/वाक/पांच (37) दिनांक 04-03-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ए. पी. त्रिपाठी, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 4th March 2014

NOTIFICATION

No. F 10-41/2014/CT/V(37). — Whereas, the State Government is satisfied that it is necessary so to do in public interest ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (5) of Section 8 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956), the State Government hereby, exempts the class of goods specified in column (2) of the Schedule below from payment of tax under the said Act, to the extent specified in column (3), under the restrictions and conditions as specified in column (4), on the fulfillment of the requirements laid down in sub-section (4), for the period from 01-04-2014 to 31-03-2015 :-

SCHEDULE

S. No. (1)	Class of goods (2)	Extent of exemption (3)	Restriction and conditions (4)
1.	Iron and steel as specified in entry of Section 14 of the Central Sales Tax Act, 1956 (No. 74 of 1956).	Partly so as to reduce the rate of tax to 1 percent.	When such goods are manufactured and sold by a small or medium scale industry situated in Chhattisgarh who is registered under the Chhattisgarh Value Added Tax Act, 2005. **Explanation** - (1) for the purpose of this notification small or medium scale industrial unit means such existing unit in which upto 31-03-2014, and industrial unit commencing production on or after 01-04-2014, upto date of production, total investment in plant & machinery, before depreciation does not exceed Rs.10 crore.

(1)	(2)	(3)	(4)
			(2) for the purpose of this notification investment in plant & machinery shall be calculated as per notification No. S. O. 1722 (E) dated 5 October, 2006 of Ministry of Small Scale Industries, Govt. of India.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
A. P. TRIPATHI, Joint Secretary.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.